कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आदेश

क्रमांक एफ 1 ( ) विविध /लेखा/निकाशि/ 09/ 250 दिनांक 26.8.11

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) विविध /लेखा/निकाशि/ 09/1290 दिनांक 02.03.2010 (प्रति संलग्न) के द्वारा कॉलेज व्याख्याताओं से की जाने वाली वसूली को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान / विधि महाविद्यालय राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, योजना एवं समन्वय शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

rohit 28-8-11

/ 9

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.1( )विविध/लेखा/निआवि/09/1290 दिनांक :2.3.2010

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

सहायक निदेशक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।

विषयः– वरिष्ठ वेतनमान में पीएच.डी. डिग्री धारको को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि वरिष्ठ वेतनमान में पीएच.डी. धारकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ दिये जाने पर चयनित वेतनमान की स्वीकृति के समय पुनः दो अनियमित स्वीकृति के सम्बन्ध में महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा इन वेतन वृद्धियों को अनियमित मानकर इस राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में प्रकरण राज्य सरकार के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया गया। वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 221000143 दिनांक 10.02.10 के द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण करके आदेश प्रदान किये हैं कि दिनांक 01.01.96 से 05.05.02 की अवधि में ऐसे व्याख्याता जिन्हें एक बार पीएच.डी. का लाभ नियम 11(a) अथवा 11(d) के अन्तर्गत दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया हैं। एवं उसके उपरान्त भी उन्हें चयनित वेतनमान स्वीकृत करते समय नियम 11(सी) के अन्तर्गत पुनः दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान कर दिया गया हैं। इन व्याख्याताओं को दुबारा वेतन स्थिरीकरण कर वसूली योग्य राशि उनके वेतन से करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(signature)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।